



राजस्थान सरकार

**निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक- एफ.1(ए)09/पार्ट-4/संस्था/बीमा/00179/

दिनांक : 18-07-2023

आदेश:- 131

इस विभाग में कार्यरत निम्नांकित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठयक्रम/अध्ययन में सम्मिलित होने/बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी श्री/श्रीमती/सुश्री	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	पाठयक्रम/अध्ययन जिसकी अनुमति चाही गयी है
1.	गोविन्द पुरी	वरिष्ठ सहायक	हनुमानगढ़	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एम.एससी. (कम्प्यूटर साइंस) FIRST YEAR EXAM, 2022-23 (स्वयंपाठी)
2.	नन्द लाल	कनिष्ठ सहायक	बीकानेर	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बी.ए. SECOND YEAR EXAM, 2022-23 (स्वयंपाठी)
3.	कृष्णकान्त मीना	कनिष्ठ सहायक	आरजीएचएस, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एम.ए. FINAL YEAR EXAM, 2022-23 (स्वयंपाठी)
4.	पूरणमल नागा	कनिष्ठ सहायक	आरजीएचएस, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एम.ए. PREVIOUS YEAR EXAM, 2022-23 (स्वयंपाठी)
5.	ज्ञान प्रकाश जांगिड़	वरिष्ठ सहायक	अजमेर	एमडीएसयू, अजमेर द्वारा आयोजित बी.ए. FIRST YEAR EXAM, 2022-23 (स्वयंपाठी)

उपर्युक्त अनुमति निम्न शर्तों के आधार पर दी जा रही है :-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिए अलग - अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापित रहने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
8. अध्ययन वर्ष अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर सरकार/विभाग की किसी भी प्रकार की जिम्मेदार नहीं होगी।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. अध्ययन की स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के प्रशासनिक कारणवश समाप्त की जा सकती है।

क्रमांक- एफ.1(ए)09/पार्ट-4/संस्था/बीमा/00179/

2880-90

दिनांक : 18-7-2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. संबंधित वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, बीकानेर संभाग/अजमेर संभाग/बीकानेर/हनुमानगढ़/अजमेर/
2. परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, वित्त भवन, जयपुर।
3. सिस्टम एनालिस्ट/संयुक्त निदेशक, सिस्टम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट <http://sipf.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करावें।
4. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. बी. सी. बधाल)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand Badhal  
Designation: Additional Director  
Date: 2023.07.17 12:52:48 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4053223

